

दिनांक 28-01-2020

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को कई बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थन काश्तकारी अधिनियम को चलाना नहीं चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थन काश्तकारी अधिनियम अदम हाजरी व अदम पेरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

^{dy}
उप जिला क्लैक्टर
महवा (दौसा)